भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2022

30 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू का कार्यान्वयन

†2022. श्री राधाकृष्णः

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष पूर्ण किए गए आवासों की संख्या तथा आवंटित, स्वीकृत, जारी एवं उपयोग की गई धनराशि का शहर-वार व्यौरा क्या है;

(ख) पूर्ण होने के पश्चात एक वर्ष से अधिक अवधि तक रिक्त अथवा बंद रहे आवासों की शहर-वार संख्या कितनी है;

(ग) लाभार्थियों अथवा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सर्वेक्षण किए गए आवासों में निवास न किए जाने के संबंध में बताए गए कारण क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूर्ण किए गए आवासों पर वास्तविक रूप से इच्छित लाभार्थी का कब्जा सुनिश्चित हो, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक जन-सुविधाओं के साथ सभी मौसमों के अनुकूल पक्के मकान प्रदान करने के लिए 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है।

इस योजना के चार घटक हैं, अर्थात् लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/संवर्द्धन (बीएलसी), भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। यह योजना चार घटकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, अर्थात, लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में

किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सहायता योजना (आईएसएस)। योजना के दिशा-निर्देशों को https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर देखा जा सकता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत कुल 127.68 लाख आवासों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें से 121.03 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 13.07.2026 तक देश भर में 99.07 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है/सुपुर्द किए जा चुके हैं। योजना की प्रगति को पीएमएवाई-यू डैशबोर्ड (https://dashboard.pmay-urban.gov.in) पर भी देखा जा सकता है। पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत की गई, जारी की गई, उपयोग की गई केंद्रीय सहायता और पूरे किए गए आवासों की कुल संख्या के साथ-साथ पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पूरे किए गए आवासों का शहर-वार और वर्ष-वार विवरण इस लिंक पर उपलब्ध है: https://pmay-urban.gov.in/PHQ/LSUQ-2022.pdf

इस योजना के अंतर्गत, बीएलसी घटक के तहत आवासों का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जा रहा है। समीक्षा बैठकों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उठाया गया एएचपी/आईएसएसआर आवासों पर कब्जे का मुद्दा एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। एएचपी/आईएसएसआर आवासों का निर्माण पूरा होना और उनका अधिभोग एक सतत घटना है। आवासों के खाली रहने के कारण, अलग-अलग परियोजना और अलग-अलग राज्य में भिन्न-भिन्न होते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार खाली पड़े आवासों के प्रमुख कारणों में अपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर; मौजूदा आजीविका के अवसरों और सामाजिक नेटवर्क से दूर स्थानांतरित होने के लिए लाभार्थियों की अनिच्छा; लाभार्थी अंशदान को पूरा करने में वित्तीय बाधाएं और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रलेखन और आवंटन में विलंब शामिल हैं। योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का उत्तरदायित्व है कि वे अपने स्वयं के संसाधनों से या अन्य योजनाओं के साथ मिलकर आंतरिक सड़कों, जल आपूर्ति, सीवरेज/सेप्टेज, जल निकासी और बाहरी विद्युतीकरण जैसा ऑन-साइट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करें।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटन में तेजी लाने, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रावधान करने और आवश्यकता पड़ने पर सक्रिय कदम उठाकर अधिभोगिता सुनिश्चित करने के लिए लगातार सलाह दी जा रही है/प्रेरित किया जा रहा है। मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वीकृत आवासों को पूरा करने और अधिभोगिता में तेजी लाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है।
